सरोज बाला V/S संजीव कुमार
प्र.स. 28/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/1/25	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभय पक्ष हाजिर बहस प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत सुनी जा चुकी है प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार है कि यह कि उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा अपने खेत में आने जाने के लिए पेश किया था। यह कि उक्त अनवान के प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि सयुक्त खाते की राजस्व दर्ज रिकार्ड है। लेकिन पक्षकारो के मध्य खाता विभाजन बाबत सहमती होने पर तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.05.2024 द्वारा पक्षकारो के मध्य खाता विभाजन स्वीकार किया गया तथा इसी बबात कृषि भूमि विभाजन आदेश दिया गया जिसकी प्रतिलिपी प्रार्थीया द्वारा न्यायालय में पेश की गई है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 व 2 को तहसील पीलीबंगा के चक 25 पी बी एन के खाता सं. 144/124 के प.नं. 21/351 के किला नं. 5/0.238, 6/0.007, 6/0.238, 15/0.001, 15/0.252, 16/0.253, 25/0.253 कुल 1.242 हैक. नाली प्रथम मय रास्ता खातेदारी दिया गया है। इसी प्रकार मुझ प्रार्थीया को भी इसी चक के प.नं. 20/351 के किला नं. 11, 20, 21, की कुल 0.759 हैक. व प.नं. 21/351 के किला नं. 5/0.015 ,6/0.008 कुल 0.782 हैक. नाली प्रथम खातेदारी दिया गया। लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहमती से जो रास्ता दिया गया उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में नही हुआ। यह कि अन्य काश्तकार अप्रार्थी सं. 3 ता 6 का नाम पक्षकार के रूप में हटाया जावे क्योकि उक्त आदेशानुसार वह सहकाश्तकार नहीं रहें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (क) राज.का.अधि. में अप्रार्थी सं. 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जावें तथा अनुतोष में चक 25 पी बी एन के प.नं. 21/351 के मु.नं. 110 के किला नं. 5/0.0153 के स्थान पर 0.015 तथा किला नं. 6/0.0153 के स्थान पर 0.015 व किला नं. 15/0.0011 के स्थान पर 0.001 हैक. किया जावें । श्रीमान जी कि अति कृपा होगी। जवाब प्रार्थना पत्र अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 अस्वीकार है मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए उक्त प्रा. पत्र पेश किया है। यह कि प्रा. पत्र की मद संख्या अस्वीकार है प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीए का दिनांक 02.02.24 को पेश किया गया उस समय प्रा. पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खता की कृषि भूमि थी जिसका पक्षकारान के मध्य अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधा को	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:26:04 IST
Reason: SelfAttested

ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की कृषि भूमि के खाता विभाजन में प्राप्त भूमि को रास्ता लगता है इसलिए प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं करवा सकती है। और ना ही प्रार्थी किसी प्रकार का संशोधन करवा सकती है। क्योंकि प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीए दिनांक 02.02.24 को पेश किया गया है विभाजन आदेश दिनांक 22.05.24 को हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र 01.01.24 को प्रस्तुत किया गया है जो कि समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाने कारण खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा कथन किया गया कि दावा दयरी के समय संयुक्त खाता की जमीन थी अब खाता विभाजन हो चुका है इसलिए 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जावे। तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा खाता विभाजन का अंकन नहीं हुआ है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि विभाजन आदेश में रास्ते का अंकन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की जमीन प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी के नाम नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा जारी खाता विभाजन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का खाता विभाजन होने के कारण अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 से प्रार्थीया को किसी प्रकार का अनुतोष अपेक्षित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है प्रार्थीना पत्र शिर्षक पर लाल स्याही से अंकन किया जावे। शेष प्रार्थना पत्र के तथ्य साबित नहीं होने से अस्वीकार किये जाते है।

प्रकरण में हमारे द्वारा वर्तमान अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार पीलीबंगा विभाजन आदेश दिनांक 22.05.24 के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धरा 251—क आरटीए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर चक 25 पीबीएन के खाता संख्या 144 के प.न. 21/351 मु.न. 110 किला न. 5 व 6 के पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण लम्बाई में प्रार्थीया के नाम दर्ज किला न. 5/0.015 है0, 6/.008 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खाता में दर्ज चक 25 पीबीएन के खाता संख्या 144 के प.न. 21/351 मु.न. 110 किला न. 6/.007, 15/.0[illegible] है0 के पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण लम्बाई में रास्ता तहसीलदार पीलीबंगा विभाजन आदेश के आधार पर बिना किसी प्रतिकर के स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:26:04 IST
Reason: SelfAttested